उत्तर प्रदेश शासन,

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1

संख्या- 58/95/84-1-14-23 बामा (बजट)/2012

लखनऊ दिनॉक 28 जनवरी, 2014

शुद्वि-पत्र

शासन के पत्र संख्या-35/1324/84-1-23 बामा (बजट)/2012, दिनॉक 17 जनवरी, 2014 द्वारा, भारत सरकार ने विधिक माप विज्ञान विभाग के सुदृढीकरण हेतु उपलब्ध कराये गये वेब्रिज टेस्टिंग मोबाइल वैन के संचालन हेतु अनुपूरक मॉग से प्राविधानित रू0 10,82,000/- की धनराशि नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान के निवर्तन पर रखी गयी है।

2- उक्त शासनादेश दिनॉक 17 जनवरी, 2014 की सातवीं पंक्ति में आयोजनागत के स्थान पर आयोजनेत्तर तथा प्रस्तर-3 की दूसरी पंक्ति में भी आयोजनागत के स्थान पर आयोजनेत्तर त्रुटिवश टंकित हो गया है। अत- उक्त शासनादेश में जिन स्थानों पर आयोजनेत्तर अंकित हुआ है, के स्थान पर आयोजनागत पढा जाय।

शासनादेश दिनॉक 17 जनवरी, 2014 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)

अनु सचिव।

संख्या-58/95/84-1-14-तद् दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान लेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार ((लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- महालेखाकार ((लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

4- नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग को उनके पत्र संख्या'526/निविमावि-लेखा-7(25) आबंटन/2013-14 के संदर्भ में।

5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लखनऊ।

7- कोषाधिकारी, लखनऊ।

8- वित्त (लेखा) अनुभाग-1 व 2

9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7

10- खाद्य एवं रसद अनुभाग-3

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in